

Office.....

INCOME TAX CALCULATION (GA-55) 2022-23

NAME :

PAN :

TAN:

A/C NO.

MOB NO.

RAJTEACHERS.NET

Month	ALLOWANCES										DEDUCTIONS													Net Payment	Bill No. & T.V. No.	
	Basic Pay	Dearness Pay	Leave Pay	Spl. Pay	D.A.	H.R.A.	Washing Allow.	ROP (If any, put the value in minus)	Other Allowance 1	Other Allowance 2	Gross Salary	GPF 2004		SI	SI LOAN + INT	RPMF/RGHS	LIC	Group Insurance Accidental	HBA Premium	HBA Interest	Income Tax / TDS	HITKARI NIDHI	CM Corona Fund			Total Deduction
Mar-22																										
Apr-22																										
May-22																										
Jun-22																										
Jul-22																										
Aug-22																										
Sep-22																										
Oct-22																										
Nov-22																										
Dec-22																										
Jan-23																										
Feb-23																										
DA Arrear 34%																										
DA Arrear 38%																										
Surrender																										
Bonus																										
Fixation Arrear																										
Salary Arrear 1																										
Salary Arrear 2																										
Salary Arrear 3																										
Other																										
TOTAL																										

Signature of Employee

Signature of DDO

1	नाम कर्मचारी :	पद :					PAN :
2	आय : वर्ष-2022-23 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मुल्य सहित)						रु.
3	(i) गृह किराया, धारा 10(13-A) के अन्तर्गत जो कर मुक्त है।						रु.
	(ii) धारा 10(14)के अन्तर्गत अन्य भते						रु.
4	शेष (2-3)						रु.
5	(i) मनोरंजन भता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत (अधिकतम सीमा रु 5000)						
	(ii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत						
	(iii) स्टैण्डर्ड डिडेक्शन (Standard Deduction) 50,000 (अधिकतम)						रु.
6	शेष (4-5)						रु.
7	(अ)गृह सम्पत्ति से आय:(1) स्वयं के उपयोग में -शून्य		(2) प्राप्त किराया रु.				
	(ब) घटायें	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग 7(ब)		
	शेष - /+(7(अ) एवं योग 7(ब) का)						रु.
8	कुल शेष - /+(6एवं 7)						रु.
9	अन्य आय						रु.
10	सकल आय योग (8+9)						रु.
11	घटाइये कटौतियाँ :- धारा US 80C, 80CCC,80CCD (1)						
	(A) अधिकतम सीमा 1,50,000 /- (धारा 80CCE) के अलावा						
	(i) राज्य बीमा (SI)	रु.	(x) पेंशन प्लान हेतु अंशदान(धारा 80CCC)	रु.			
	(ii) जीवन बीमा प्रीमियम (LIC)	रु.	(xi) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत ब्याज	रु.			
	(iii) राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)	रु.	(xii) टयूशन फीस	रु.			
	(iv) लोक भविष्य निधि (PPF)	रु.	(xiii) इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम	रु.			
	(v) राष्ट्रीय बचत स्कीम (NSS)	रु.	(xiv) स्थगित वार्षिकी (Deffered Annuity)	रु.			
	(vi) सामान्य प्रावधायी निधि (GPF/GPF 2004)	रु.	(xv) पी.एल.आई. (PLI)	रु.			
	(vii) सामूहिक बीमा प्रीमियम (G.Ins.)	रु.	(xvi) अन्य जमाराशि (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	रु.			
	(viii) यू. एल. आई. पी. / वार्षिक प्लान	रु.	(xvii) सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि	रु.			
	(ix) गृह ऋण किस्त (HBA Premium)	रु.	(xviii)	रु.			
	योग (i से xviii)						रु.
	अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक						रु.
	(B) घटाइये - धारा 80CCD (1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)						रु.
	योग 11(A+B+C)						रु.
12	अन्य कटौतियाँ						
	1. धारा 80 D ,चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयंपति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25000,सीनियर सिटीजन रु 50000)						रु.
	2. धारा 80DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)						रु.
	3. धारा 80DDDB विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40,000, सीनियर सिटीजन हेतु रु 100,000)						रु.
	4. धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज						रु.
	5. धारा 80G धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)						रु.
	6. धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995के अनुसार 125,000)						रु.
	7. धारा 80 TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज रु. 10,000 194(1A) (80 TTB - वरिष्ठ नागरिक अधिकतम ब्याज 50000रु.)						रु.
	8. धारा 80 GGA अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान						रु.
	9. धारा 80 GGC राजनितिक पार्टियों को दिया गया दान						रु.
	कुल योग 12 (1 से 9 तक)						रु.
13	कुल कटौती (11 + 12)						रु.
14	कर योग्य आय (10 - 13)						रु.
15	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A						रु.
16	आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर						
	एक व्यक्ति कर दाता		वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)		80 वर्ष या अधिक आयु		
	2,50,000 तक	Nil	3,00,000 तक	Nil			रु.
	2,50,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%	5,00,000 तक	Nil	रु.
	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	20%	रु.
	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%	रु.
	(1) योग आयकर						रु.
	(2) छूट धारा 87(A) (2.50 लाख से 5.00 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रु. 12500 तक)						रु.
	(3) शेष आयकर (1-2)						रु.
	(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2% (योग 4%)						रु.
	कुल आयकर (3+4)						रु.
17	घटाइये :- राहत धारा 89 के तहत						रु.
18	कुल शेष आयकर						रु.
19	आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2022 तक रुपये	दिसम्बर 2022 तक रुपये	जनवरी 2023 तक रुपये	फरवरी 2023 तक रुपये	टी.डी.एस. रुपये	योग कॉलम 19
	Income Tax Payable/Refundable						रु.